



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042022-235018
CG-DL-E-09042022-235018

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1642]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944

No. 1642]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2022

का.आ. 1725(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4334 (अ) 4334 (अ) तारीख 02.09.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 20.10.2021 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा—विजयपुर—जगदीशपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन एवं स्पर पाइपलाइन के विजयपुर—औरैया पाइपलाइन खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

विजयपुर - औरैया (वी ऐ पी एल) गैस पाइपलाइन

खण्ड - विजयपुर

अनुसूची

राज्य - मध्यप्रदेश

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हे./आर/वर्ग मीटर)
गुना	गुना	बजरंगढ	36	0.07.15
			37 / 1	0.00.20
			167 / 2 / 1	0.25.66
			167 / 2 / 2	0.25.66
			167 / 3	0.02.54
			172 / 4	0.81.15
			182 / 1	0.08.00
			182 / 5	0.07.00
			182 / 17	0.05.00
			182 / 18 मिन.1	2.33.22
			14	0.51.09
			477	0.02.29
			466	0.00.20
			465 / 2	0.18.72
			490 / 1 / 1	0.00.20
			489	0.13.50
			475	0.30.37
			476	0.02.61

[फा. सं. एल-14014 / 63 / 2021-जीपी-II (ई-41684)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2022

S.O. 1725(E).—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O No. 4334 (E) dated 02.09.2021 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 20.10.2021, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Vijaipur-Auraiya Pipeline Section of Hazira-Vijaipur-Jagdishpur Natural Gas Pipeline and spur Pipeline in the State of Madhya Pradesh.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Vijaipur – Auraiya (VAPL) Gas Pipeline

Section - Vijaipur

SCHEDULE

State – Madhya Pradesh

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area (Ha.- Are- Sqm)
GUNA	GUNA	BAJRANGARH	36	0-07-15
			37/1	0-00-20
			167/2/1	0-25-66
			167/2/2	0-25-66
			167/3	0-02-54
			172/4	0-81-15
			182/1	0-08-00
			182/5	0-07-00
			182/17	0-05-00
			182/18 MIN.1	2-33-22
			14	0-51-09
			475	0-30-37
			476	0-02-61
			477	0-02-29
			466	0-00-20
			465/2	0-18-72
			490/1/1	0-00-20
			489	0-13-50

[F. No. L-14014/63/2021-GP-II (E-41684)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.